न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई

पीठासीन अधिकारी– डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस

वाद संख्या– 92 / 2017
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 04.07.2018

1. रेवती पुत्र बख्तावर जाति मीना निवासी खेड़ीदेवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

– वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी खेड़ीदेवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. मु. शान्ति वेवा भौरया जाति मीना निवासी खेड़ीदेवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. पदम पुत्र भौरया जाति मीना निवासी खेड़ीदेवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. राजू पुत्र भौरया जाति मीना निवासी खेड़ीदेवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. विमलेश पत्नि पदम जाति मीना निवासी खेड़ीदेवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. बीरबल पुत्र रामसिंह मृतक

6/1 अगूरसिंह पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी खेड़ीदेवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर

7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
8. प्रबंधक पी. एन. बी. बरौलीछार
9. प्रबंधक पी. एन. बी.नदबई

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1.श्री महेन्द्रसिंह मीना एडवोकेट

Web Copy - Not Official

निर्णय

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 आर टी ए के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा 79 रकवा 0.35 खसरा नम्बर 80 रकवा 0.34 वाके ग्राम खेडा तह.नदबई व आराजी खसरा नम्बर 3499 रकवा 0.83 वाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजी पर वादी एवं सभी प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मनवट के आधार से काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु मनवट के बजाय अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी लेकर

सिचाई साधन व लगान आदि को देखते हुऐ कानूनी रूप से बटवारा कराना चाहते है। तथा इसी विभाजन अनुसार व कब्जे व हिस्से के अनुसार दृष्टिगत रखते हुए अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन नियम 18 से 21 की पालना को दृष्टिगत रखते कानूनी बटवारा करा पाने का अधिकारी है। इसके अलावा वादी के पास में गांव खेडा व कबई में अन्य आराजी भी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकित की हुई है। जो कि खसरा न. 75 व 76 गांव खेड़ा में है जो नक्शा से जमाबंन्दी राजस्व रिकार्ड से बखूबी साबित है। इसी अनुसार गांव कबई ख.न. 5115/3498 रकबा 0.07 है. जो रिकार्ड से साबित है। दस प्रकार कानूनी रूप से विभाजन करते हुए हिस्से व कब्जे के अनुसार लगान आदि तस करते हुऐ मुताबिक कुर्राजात व लगान के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 तामील बावजूद अनुपस्थित हुए जिनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई। तथा दिनांक 29.01.2018 को दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नदबई को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के कुर्रा प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया । तहसीलदार नदबई द्वारा अपने पत्र कमांक भू.अभि./18/1380 दिनांक 15.06.18 से भिजवाई गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस कुर्रा रिपोर्ट एक तरफा सुनी गई। वादी वकील द्वारा मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। कुर्रा रिपोर्ट का अवलोकन कब्जा व मौका के अनुसार तैयार की गई । दावा मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट डिक्री किया जाना उचित है। अतः दावा वादी मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार नदबई के पत्रांक भू.अभि./18/1380 दिनांक 15.06.18 के अनुसार डिक्री किया जाता है। कुर्रा रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। रहन यथावत रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

(डॉ.राजेश गोयल)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

Web Copy - Not Official